U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135

पत्र सं०: 1646 -मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2025-10(1)-मा०सं०-03/2016 दिनांक: 24.07 .2025

"कार्यालय ज्ञाप"

निगमादेश सं० 1546-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के तापीय स्कन्ध के विभिन्न परियोजनाओं में चयन वर्ष 2015-16 के उपरान्त से चयन वर्ष 2022-23 तक रसायनज्ञ श्रेणी-II के पद पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों की परिषदादेश सं० 84-विनियम-23/राविप/98-राविप/92 दिनांक 24.02.1998 एवं यथा संशोधित आदेशों के प्राविधानानुसार अनन्तिम (Tentative) वरिष्ठता सूची निर्गत करते हुये सम्बन्धित कार्मिकों से पत्र निर्गमन तिथि से 15 कार्यदिवसों के भीतर आपत्तियाँ प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। सूचनीय है कि दिनांक 23.07.2025 तक मा०सं०-03 अनुभाग में मात्र एक कार्मिक का विषयगत प्रकरण में प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित कार्मिक द्वारा की गयी आपत्ती का निम्नवत निस्तारण एतद्द्वारा किया जाता है:-

नाम (सर्वश्री) एवं प्रत्यावेदन पत्र दिनांक	आपत्तियों का विवरण	निस्तारण टिप्पणी
1	*2*	*3*
श्री तरूण प्रकाश, रसायनज्ञ ग्रेड-II, हरदुआगंज तापीय परियोजना एवं प्रत्यावेदन पत्र दिनांक 15.07.2025	सविनय निवेदन है मानव संसाधन-03 के पत्रांक संख्या 1546-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2025-10(1)-मा०सं०-03/2016 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि० के तापीय परियोजनाओं में कार्यरत विभिन्न रसायनज्ञ श्रेणी-द्वितीय की अनन्तिम वरिष्ठता सूची घोषित की गयी है जिसमें प्रार्थी के बाद निगम में कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिकों को भी प्रार्थी से ऊपर रखा गया है जिससे प्रार्थी यह समझने में असमर्थ है कि यह वरिष्ठता सूची बनाये जाने का आधार/मानक क्या है ? अतः प्रार्थी इस सूची पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर रहा है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवदेन है कि उपरोक्त वरिष्ठता सूची का आधार/मानक स्पष्ट करते हुये वरिष्ठता सूची सार्वजनिक करने का कष्ट करें। आपकी अति कृपा होगी।	चयन वर्ष 2015-16 के उपरान्त से चयन वर्ष 2022-23 तक रसायनज्ञ श्रेणी-II के पद पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्त कार्मिकों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 के अन्तर्गत निर्गत परिषदादेश सं० 84-विनियम-23/राविप/98-राविप/92 दिनांक 24.02.1998 के प्रस्तर-8 में उल्लिखित उपबिन्दुओं के प्राविधानानुसार अनन्तिम (Tentative) वरिष्ठता सूची निगमादेश सं० 1546-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2025 दिनांक 04.07.2025 द्वारा निर्गत की गयी है। चूँकि रसायनज्ञ श्रेणी-II के पद पर नियुक्तियाँ दोनो स्रोतो यथा पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से की जाती है जिसका भर्ती प्रतिशत क्रमशः $33\frac{1}{3}$% एवं $66\frac{2}{3}$% है, जिसके परिप्रेक्ष्य में उक्त स्रोतो का अनुपात भी लगभग 1:2 है, तथा चयन वर्ष 2019-20 में रसायनज्ञ श्रेणी-II के पद पर नियुक्तियाँ भी दोनों स्रोतों (पदोन्नति एवं सीधी भर्ती) से हुई हैं, जिसके दृष्टिगत संयुक्त वरिष्ठता सूची में दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुपात में चक्रानुक्रम पद्धति से निर्धारित की गयी है। अतः एक ही चयन वर्ष में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के माध्यम से विभिन्न तिथियों में

क्रमशः.....2/-

नाम (सर्वश्री) एवं प्रत्यावेदन पत्र दिनांक	आपत्तियों का विवरण	निस्तारण टिप्पणी
1	2	3
		कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्मिकों का उपरोक्त वर्णित परिषदादेशानुसार उनके परस्परिक वरिष्ठता सूची को चक्रानुक्रम पद्धति से संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार किये जाने का प्राविधान है जिसमें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि मात्र चयन वर्ष के निर्धारण हेतु की जाती है। उक्त के अनुसार ही अनन्तिम (Tentative) वरिष्ठता सूची निगमादेश सं० 1546-मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2025 दिनांक 04.07.2025 में पहले पदोन्नत व्यक्ति को, फिर दो सीधी भर्ती वाले व्यक्ति को, फिर एक पदोन्नत व्यक्ति को, फिर दो सीधी भर्ती वाले व्यक्ति—इस तरह क्रम निर्धारित कर कार्मिकों को चक्रानुक्रम में रखा गया है। क्रम सं० 22 के उपरान्त पदोन्नत व्यक्ति उपलब्ध न होने पर सीधी भर्ती वाले कार्मिकों को उनके मेरिट सूची के अनुसार रखा गया है।

निदेशक (का० प्रबं० एवं प्रशा०)

पत्र सं०:-1646 -मा०सं०-03/उ०नि०लि०/2025 तददिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(तकनीकी)/(परियोजना एवं वाणिज्य)/(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
2. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, अनपरा/ओबरा/पनकी/हरदुआगंज/पारीछा/जवाहरपुर तापीय परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा/ओबरा (सोनभद्र)/पनकी (कानपुर)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पारीछा (झाँसी)/मलावन (एटा) को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित रसायनज्ञ श्रेणी-द्वितीय को इस आदेश की छायाप्रति तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य अभियन्ता (मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, प्रगति, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, विद्युत सेवा आयोग भवन, SLDC परिसर निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. कट फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष कुमार सिंह)

अधिशासी अभियन्ता (मा०सं०-03)